Report II 5 2/12/2018-P/I&P

Report- II, on Visit to Nawada District to know about Bonded labour and Child labour In Pakribarwan Block by Dr Vinod Aggarwal Special Rapporteur on 20th to 24th November, 2018.

A complaint was received about hundreds of labourers being bonded labour in the villages Kishori & Chatar of Pocsi Gram Panchayat, in block Pakribaravan in the district of Nawada. The matter was brought in light by the Justice Ventures trust Nizamudduin, New Delhi. An enquiry was conducted on 23rd April, 2018 by SDM, Labour suptd., Anchal Adhikari and SHO Pakribaravan and a report was submitted vide a letter of labour superintendent to DM Nawada on 27th april,18. This report indicated that the labourers all belonged to SC category. The report establishes that all these labourers work with the landed community of village:

i) These labourer families, the whole family, are working for the certain landlord, based on advance taken by head of family, earlier.
ii) The employer does not allow them to take employment else- where.
iii) The labourers can't move from the place without the concurrence of the employer.
iv)These labourers are paid lesser than the minimum wages fixed by the Government.

2. Thus the report submitted had categorically stated that these labourers come in the category of bonded labourers. Although, SDM had directed labour superintendent on 25/06/18 to file FIR, but it was filed only in the end of July, 2018. There were misgivings in the mind of officers, therefore I visited the site with SDM and Labour suptd. The facts were re-established during my visit and 9 more bonded labourers were identified, in July. The authorities failed to show any measures by Government to help the bonded labour, by giving them land rights for home stead land, or construction of Indira Awas for these land less and/or home-less labourers. Neither the evidence of Job card for MG NREGA was shown for any one. No Aangan wadi Kendra was running for these more than 50 families who all were Mahadalits. The education level was very low even among the younger family members. It seemed that the land owners group had ensured that these families remain without help from the Government

schemes, so that their dependence on the employers remains. This is a case which need to be examined how a pocket of Mahadalits have been left untouched by the benefit which flow to them through Constitution and welfare measures of the Government.

3. Based on my discussions with District magistrate Nawada and his team of officers, the district administration took some action . The letter no 1744/ Con dated 19th July,18 of District Magistrate explained that:

i) The MG NREGA job cards have been made for 28 families. 19 earlier job cards have been renewed.
ii) 29 families who were on Gair Majarua land have been given owner ship papers for home-stead land, but others who are on land of others nothing had been done.
iii) 28 people of the village have been given Indira Awas and others' names would be added in SECC-11, after survey.
iv) Criminal cases under IPC sections 341, 323, 504, 506, 370, 374/34 have been registered against the persons who had bonded these persons and release order of them has been issued.

4. This District was revisited after 4 months after informing the State Government and labour department to see what has been done for these bonded labours. A meeting was held with District Magistrate Nawada and his team of officials on 23rd Nov and the action taken till date is as follows.The District magistrate nawada vide his letter no 3125 dated 29/11/18 has enclosed a report of wha[illegible]he for the released bonded labours. This letter is enclosed as annexure-a to report II. The minutes of meeting of 23rd November are enclosed as annexure-b to report, which are issued vide letter no 39/child labour dated 23/11/18:

i) Only 41 bonded labourers have been given 20000 per head and transferred to their account only recently.
ii) But still 94 of the bonded labourers of Pocsi panchayat were not paid for lack of allotment of funds from the Government.
iii) Besides the old case Hyderabad case 29 child bonded labour and 20 labourers released from local brick kilns have not been paid even this 20

thousand rupees till date. I don't understand why govt is not able to release the funds to rehabilitate the bonded labour for long time.

iv) Earlier it was said that the MG NREGA job cards have been made for 28 families and 19 earlier job cards have been renewed. Now it is being informed that 102 Job cards have been made and 16 pending that who so ever was to be given job card has not been completed. There are 17 children who are not eligible to be given Job card. But no work has been given to them because Gram Sabha meeting could not be held. The village is dominated by the land lords. Unless District Magistrate take interest directly, it will be difficult to get work started in the Panchayat. It would be desirous that the work is provided with in the Panchayat or out side but providing these bonded labours 100 days of employment per family/ per nuclear family norms is a must to take them out of clutches of land lords but the authorities looked weak.

v) No proposal till date has been made for giving skill training or up gradation which is now work of the labour department functionaries at all levels.

vi) ***Earlier in July it was reported that 28 persons covering 82 bonded labours have been given Indira Awas and others' names would be added in SECC-11. Now by letter dated 30/11/18 it has been said that remaining 53 bonded labour of 26 family will be provided IAY for which procedure has began.***

vii) It was informed by the additional collector that 29 Mahadalit families covering 59 bonded labour have been given land settlement documents on 30/11/18. Remaining 76 bonded labour are on residing on their own raiyati land.

viii) ***By now 123 of all (135)the freed bonded labour families have their names in ration cards. Only 12are without ration cards from whom application has been obtained.***

Ix) Among the freed bonded labours 3 are given old age pension. 12 of the bonded labours are identified for various type of pensions which will be sanctioned to them. remaining 120 of freed labour are not eligible for pension.

x) ***The number of 0-6 children among the families of freed bonded labours are 39 who should be enroled with Anganwari Kendra.***

xi) It has identified that 11 children are among the 135 freed bonded labours. These children will be enrolled in the middle school about 650 metres away from the village Keshori.

xii) It was informed that based on the FIR filed in July against 24 persons, till date under CrPC S/41, only 19 persons have been bonded and released and no charge sheet has been filed. No action has been taken against 5 persons is not clear.

Recommendations:

1.Now this case of bonded labourers in Keshori and Chattar village of Pakribarwan block in Nawada district, is at least 4 months old and very little action has happened, it would again be desirable that time period be fixed for completing the enquiry and filling the charge sheet. The range DIG should be requested to examine the matter and see sufficiency of action and punish the subordinate officers in police sitting over the matter.

2.It seems that the district authorities are taking too much time of whether they are bonded labourers or not, it would be desirable if any doubts finally DM and SP should enquire personally and matter shouldn't be delayed any further. In this district 3-4 cases have been discovered , it is necessary that the post of labour superintendent in Nawada be upgraded to higher scale and a higher ranking labour department officer may be posted along with more labour inspectors for next 2-3 years as this district is prone to bonded labours.

3.Meetings with NGOs may be held regularly, to find out more cases and every nook and corner of the district may be looked for some other cases of similar nature.

4The bonded labour families of Kishori and Chattar villages have not been benefitted by any other scheme of government except NFSA(Ration) and it would be imperative on district administration to see that all of them are given homestead land, Indira Awas, MG NREGA job card, Aanganwari Kendra, a primary school in the vicinity with Mid day meal etc would be of utmost need. The efforts made by district administration are quite insufficient till date.

5. a) The matter of 126 bonded labours is hanging in fire for last 7 months. My last visit resulted in identification of 9 more and filing of cases but very little benefits have reached the bonded labour families.

b) It would be important that these bonded labours are given in a time bound manner the financial benefits as per the rules and non financial benefits inform of land for home stead and for agriculture. Till now only 35 labours have been given 20000 rupeess each which can be considered a poor performance.

c) Provision of homestead land has happened but Indira Awas to remaining 28 families covering 53 bonded labour is yet to sanctioned.

d)11 bonded labour released are in the age of school going. They have been identified but enrolment is yet to happen. They have not begin going to school.

e) Provision of animal rearing in form of dairy/poultry or piggery has not happened. Benefit of employment under MG MNREGA is yet to reach the released bonded labours. The officers, who are not taking enough steps need to be replaced as lot of time has passed but nothing concrete has happened even in 4 months after my last visit.

f) Training of these, released bonded labours in the skill development program is one of the other program for the labour department can engage them to train and get jobs for them.

Dr Vinod Aggarwal
Special Rapporteur

10. Refort II

annexure a —

बिहार सरकार
समाहरणालय, नवादा
नवादा – 805110
(जिला गोपनीय शाखा)

दूरभाष 06324–212253 (कार्या०)
06324–212240 (आवास)
06324–212904 (फैक्स)
email: dm-nawadah.bih@nic.in

पत्रांक– 3125 /गो0, नवादा दिनांक 29/11/2018

प्रेषक

कौशल कुमार,
भा0प्र0से0
जिला पदाधिकारी,
नवादा।

सेवा में,

श्री विनोद अग्रवाल,
स्पेशल रिपोर्टर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,
नई दिल्ली।

विषय :– **विमुक्त 135 बंधुआ श्रमिकों का सर्वेक्षण प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक श्रम अधीक्षक, नवादा का पत्रांक 954, दिनांक 29.11.2018 द्वारा नवादा जिले के पकरीबरावाँ प्रखंड के ग्राम–केशौरी से विमुक्त 135 बंधुआ श्रमिकों का सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसे संलग्न कर आवश्यक कार्यार्थ समर्पित की जा रही है।

सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनुलग्नक :– यथोपरि।

विश्वासभाजन

जिला पदाधिकारी,
नवादा।

652

11

श्रम अधीक्षक का कार्यालय, नवादा।

पत्रांक ..., दिनांक ...

प्रेषक,

श्रम अधीक्षक,
नवादा।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
नवादा।

विषयः— नवादा जिला के विमुक्त 135 बंधुआ श्रमिकों का सर्वेक्षण प्रतिवेदन जमा करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचित करना है कि ग्राम–केशौरी, प्रखण्ड पकरीबरावाँ, जिला नवादा से विमुक्त 135 (एक सौ पैतीस) बंधुआ श्रमिकों का सर्वेक्षण किया गया जो निम्नप्रकार है:—

1. जॉब कार्ड (मनरेगा) :— कुल 35 (पैतीस) परिवारों में 135 (एक सौ पैतीस) बंधुआ श्रमिकों को विभाजित किया गया है। किसी परिवार में सभी विवाहित दम्पति को एक परिवार मानकर कुल 54 स्वतंत्र परिवार चिन्हित किया गया है। जो सर्वेक्षण सूचि में संलग्न है।

2. जॉब कार्ड (मनरेगा) :— 135 (एक सौ पैतीस) बंधुआ श्रमिकों में 102 (एक सौ दो)का जॉब कार्ड निर्गत है। 16 (सोलह) श्रमिकों का जॉब कार्ड निर्गत करने की प्रक्रिया में है तथा शेष 17 (सतरह) अव्यस्क होने के कारण अयोग्य है।

3. राशन कार्ड :— कुल 135 (एक सौ पैतीस) बंधुआ श्रमिकों में 123 (एक सौ तैइस) बंधुआ श्रमिकों का जनवितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड निर्गत है। शेष 12 (बारह) श्रमिकों के राशन कार्ड निर्गत करने हेतु आवेदन ली गयी है।

4. पेंशन :— कुल 135 (एक सौ पैतीस) बंधुआ श्रमिकों में 3 (तीन) श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। 12 (बारह) श्रमिक विभिन्न पेंशन योजनाओं के अर्हता रखते है, उनका आवेदन प्राप्त कर पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है। शेष 120 (एक सौ बीस) श्रमिक पेंशन हेतु अयोग्य है।

5. आवास :— (IAY) कुल 135 (एक सौ पैतीस) बंधुआ श्रमिकों में 82 (बेरासी) श्रमिकों के लिए इंदिरा आवास योजना के तहत 28 (अठाइस) यूनिट आवास की स्वीकृति पूर्व में दी गयी है। शेष 53 (तिरपन) श्रमिकों हेतु 26 (छब्बीस) यूनिट आवास की स्वीकृति के लिए विधिवत प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। 26 (छब्बीस) यूनिट आवास की स्वीकृति के पश्चात सभी 54 (चौबन) स्वतंत्र परिवार को आवास मुहैया हो जायेगा।

6. कुल 135 (एक सौ पैतीस) बंधुआ श्रमिकों में 76 (छिहत्तर) श्रमिक अपने रैयती भूमि पर अवस्थित है। शेष 59 (उनसठ) श्रमिक सरकारी जमीन पर बसे हुए है, जिनके परिवार के मुखिया के नाम पर 29 (उन्तीस) बासगीत पर्चा निर्गत किया गया है।

7. ग्राम केशौरी के इन 135 (एक सौ पैतीस) बंधुआ श्रमिकों के पास (0—3) वर्ष के 34 (चौतीस) बच्चे है तथा (3—6) वर्ष के 13 (तेरह) बच्चे है। (3—6) वर्ष के सभी 13 (तेरह) बच्चों को नजदीक आंगनबाड़ी केन्द्र पर नामांकन करायी जा रही है।

भवदीय अवलोकनार्थ समर्पित।

अनु0— सर्वेक्षण सूची।

विश्वासभाजन

श्रम अधीक्षक
नवादा

Report II 12.
annexure-b

डॉ0 विनोद अग्रवाल, Special Rapporteur, **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 23.11.2018 को नवादा जिला (बिहार) में सम्पन्न समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-**

01. **उपस्थिति** :– पंजी के अनुसार।

02. **मुख्य बातें** :– इस बैठक का मुख्य उद्देश्य नवादा जिले के पकरीबरावां प्रखंड के पंचायत–पोक्शी, ग्राम केशोरी में विमुक्त बंधुआ श्रमिकों की पुनर्वास से संबंधित अद्यतन स्थिति की समीक्षा किया जाना था। समीक्षा के दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं/प्राथमिकताओं पर संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिये गये :–

03. **आर्थिक सहायता** :–

इस बैठक में उपस्थित श्रम अधीक्षक, नवादा से पृच्छा किये जाने पर बताया गया कि नवादा जिले के पकरीबरावां प्रखंड के केशौरी ग्राम के 35 परिवारों के 135 विमुक्त बंधुआ श्रमिकों को "बंधुआ श्रमिक विमुक्तीकरण प्रमाण–पत्र" उपलब्ध कराया गया है, जिसमें से 41 श्रमिकों को आर्थिक सहायता राशि के रूप में प्रति बंधुआ श्रमिक 20000.00 (बीस हजार) रू0 संबंधित श्रमिकों के बैंक खाता में हस्तांतरित कर दिया गया है। शेष 94 श्रमिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में पूछे जाने पर श्रम अधीक्षक, नवादा द्वारा बताया गया कि जिले में आवंटन की अनुपलब्धता के कारण श्रमायुक्त, बिहार, पटना से निम्न मदों में राशि की मांग की गयी है :–

क्र0	विमुक्त स्थल का नाम	अवशेष विमुक्त बंधुआ श्रमिक	अधियाचना राशि (प्रति श्रमिक 20000.00 रू0)
01.	चन्दन ईट भट्टा, कादीरगंज, नवादा	04	80000.00
02.	मेहता ईट भट्टा, सेराजनगर, हिसआ	16	320000.00
03.	ग्राम –केशौरी, पंचायत–पोक्सी, प्रखंड–पकरीबरावां	94	1880000.00
04.	हैदराबाद से विमुक्त श्रमिक	29	580000.00
	कुल –	143	2860000.00

इस संबंध में श्रम अधीक्षक, नवादा को निदेश दिया गया कि वे शेष बंधुआ श्रमिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु संबंधित श्रमिकों से बैंक खाता संख्या प्राप्त करेंगे, ताकि विभाग से आवंटन प्राप्त होते ही उन श्रमिकों के बैंक खाता में राशि का हस्तांतरण किया जा सके।

04. **राशन कार्ड** :–

ग्राम केशौरी के इन विमुक्त बंधुआ श्रमिकों को खाद्यान्न/किरासन तेल की उपलब्धता के संबंध में पूछे जाने पर बैठक में उपस्थित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पकरीबरावां द्वारा जानकारी दी गयी कि इस ग्राम के 39 लाभुक पूर्व से PHH कार्ड से लाभान्वित हैं, जिससे ग्राम के 198 सदस्य संबद्ध हैं। साथ ही पूर्व से 08 लाभुक AAY कार्ड से लाभान्वित हो रहे हैं। अवशेष

श्रमिकों को नया राशन कार्ड उपलब्ध कराने हेतु पूर्व से प्राप्त राशन कार्डधारियों से मिलान कर विखण्डीकरण कर प्रखंड के RTPS काउंटर पर आवेदन समर्पित कराया गया है।

05. मनरेगा जॉब :–

ग्राम केशौरी के इन 135 विमुक्त बंधुआ श्रमिकों को मनरेगा के तहत 100 कार्य दिवस की मजदूरी उपलब्ध कराने के संबंध में पूछे जाने पर बैठक में उपस्थित कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, पकरीबरावां द्वारा बताया गया कि इन 135 विमुक्त बंधुआ श्रमिकों में से 82 श्रमिकों को जॉब कार्ड उपलब्ध करा दिया गया है। शेष श्रमिकों को भी शीघ्र जॉच कार्ड उपलब्ध कराने का निदेश कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, पकरीबरावां को दिया गया। इन मजदूरों को कार्य दिवस उपलब्ध कराने के संबंध में पूछे जाने पर बताया गया कि स्थानीय समस्या के कारण इस ग्राम में "ग्राम सभा" आयोजित नहीं हो पा रही है, जिससे मजदूरी उपलब्ध कराने में दिक्कत हो रही है। इस संबंध में कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, पकरीबरावां को निदेश दिया गया कि इन्हें मनरेगा के तहत मुर्गीफारम, बकरीफारम आदि की सुविधा में मुहैया कराया जाए।

श्रम अधीक्षक, नवादा को निदेश दिया गया कि इन विमुक्त बंधुआ श्रमिकों को Skill Development के कार्यक्रम में पंजीकरण करायें ताकि इन्हें इसका फायदा मिल सके। उपस्थित सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को भी निदेश दिया गया कि इन श्रमिकों को सिर्फ आर्थिक सहायता उपलब्ध करा देना ही हमारी जिम्मेवारी नहीं बल्कि इन्हें पुनर्वासित (Rehabilitate) भी किया जाना है।

06. इंदिरा आवास :–

इन 135 विमुक्त बंधुआ श्रमिकों को इंदिरा आवास/प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित किये जाने के संबंध में पूछे जाने पर बैठक में उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी, पकरीबरावां द्वारा बताया गया कि ग्राम केशौरी में इंदिरा आवास योजना के तहत 187 लाभुकों को लाभान्वित किया गया है। उनके द्वारा यह भी जानकारी दी गयी कि इन इन 135 विमुक्त बंधुआ श्रमिकों में से 62 श्रमिकों को इंदिरा आवास योजना का लाभ दिलाया गया है, जिसमें से 26 पूर्ण तथा 36 आवास अब तक अपूर्ण हैं। जिन श्रमिकों के पास जमीन उपलब्ध नहीं है, उन श्रमिकों को आवास भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में पूछे जाने पर अपर समाहर्त्ता, नवादा द्वारा जानकारी दी गयी कि इस ग्राम में कुल सर्वेक्षित परिवारों की संख्या–132 है, जिसमें से 76 रैयती भूमि पर आवासित हैं। उनके द्वारा बताया गया कि "क्रय नीति" से 10 लाभुकों को लाभान्वित किया जाना है। साथ ही कुल 29 महादलित परिवार को बंदोबस्ती का पर्चा तैयार किया गया है, जिन्हें 30.11.2018 को हस्तगत कराया जाएगा।

07. अन्यान्य :–

इस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र की स्थिति के संबंध में पूछे जाने पर उपस्थित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पकरीबरावां द्वारा जानकारी दी गयी कि इस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या–42, केशौरी कार्यरत है। लाभान्वितों की संख्या के संबंध में पूछे जाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पकरीबरावां द्वारा बताया गया कि प्राप्त सर्वे अनुसार इस ग्राम में कुल

लाभान्वित महिलाओं की संख्या–40 है। साथ ही शून्य से 03 वर्ष के आयु वाले बच्चों की संख्या–15 एवं 03 वर्ष से 06 वर्ष के आयु वाले बच्चों की संख्या– 24 है, जिसमें 22 विभिन्न ईंट भट्टों पर कार्य करते हैं। 04 गर्भवती महिलाओं को THR का लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना के तहत 04 एवं कन्या उत्थान योजना के तहत 03 महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है।

इस ग्राम में पठन–पाठन की सुविधा के संबंध में पूछे जाने पर उपस्थित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, पकरीबरावां एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा, नवादा द्वारा जानकारी दी गयी कि इन 135 विमुक्त बंधुआ श्रमिकों में से 11 (ग्यारह) बच्चे हैं, जिन्हें विद्यालय में नामांकन कराये जाने की आवश्यकता है। उनके द्वारा जानकारी दी गयी कि ग्राम केशौरी से 650 मीटर की दूरी पर मध्य विद्यालय, केशौरी, पोक्सी संचालित है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, पकरीबरावां एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा, नवादा को निदेश दिया गया कि इन सर्वेक्षित बच्चों का शीघ्र उक्त विद्यालय में नामांकन कराकर पठन–पाठन की सुविधा मुहैया कराया जाए।

इन 135 विमुक्त बंधुआ श्रमिकों को सरकार द्वारा देय पेंशन सहायता के संबंध में उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी, पकरीबरावां को निदेश दिया गया कि ग्राम केशौरी के इन सभी 135 श्रमिकों का सर्वे कर लें तथा योग्य श्रमिकों को पेंशन की स्वीकृति प्रदान कर लाभान्वित करना सुनिश्चित करें।

ग्राम केशौरी में इन श्रमिकों को बंधुआ मजदूरी कराये जाने के आरोपी 24 स्थानीय नियोजकों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई के संबंध में पूछे जाने पर बैठक में उपस्थित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पकरीबरावां द्वारा जानकारी दी गयी कि द0प्र0सं0 के धारा 41 के तहत 19 आरोपियों के विरूद्ध बंध–पत्र निर्गत किया गया है, किंतु अब तक किसी के विरूद्ध आरोप–पत्र दाखिल नहीं किया जा सका है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पकरीबरावां को निदेश दिया गया कि संबंधित आरोपितों के विरूद्ध शीघ्र आरोप–पत्र दाखिल करें।

23.11.2018
श्रम अधीक्षक,
नवादा।

23/11/18
जिला पदाधिकारी,
नवादा।

ज्ञापांक 39 /बाल श्रम, दिनांक 23 / 11 / 2018

प्रतिलिपि :– संबंधित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

23.11.2018
श्रम अधीक्षक,
नवादा।

23/11/18
जिला पदाधिकारी,
नवादा।